न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

अपील संख्या 18/2025

तारीख रजू 05.02.2025

कपूर पुत्र देवीराम मीना निवासी बडौद, तहसील खण्डार । ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार। ——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट – अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 17.06.2025**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 19/2024 मे पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बडौद के आराजी खसरा नम्बर 570/1 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै.मु.तलाई पर संवत 2081 फसल रबी मे जिन्स गेहूं काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए दो माह (60 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त होने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया है एवं गलत प्रकार से अपना निर्णय पारित किया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि अपीलाण्ट/प्रार्थी कोई सम्मन नोटिस नहीं मिला तथा नहीं अपीलाण्ट की कोई प्रोपर तामिल ही हुयी है अगर अपीलाण्ट को सम्मन नोटिस मिलता और तामिल हो जाती तो अपीलाण्ट अपने पक्ष में साक्ष्य सफाई पेश करता। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि उक्त आराजीयात ख0नं0 570/1 रकबा 2.00 बीघा किस्म गै.मु. तलाई पर अपीलाण्ट का वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा नही अपीलाण्ट कोई पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है। [illegible] हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अपीलाण्ट को न्यायालय ने [illegible] किया है इसलिये न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। यह [illegible] आसपास के खेत वालो के पटवारी हल्का ने कोई बयान नहीं लिये है तथा सीधे ही कार्यालय में बैठकर स्वेच्छाचारी रिपोर्ट पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

की है। प्रार्थी अपीलाण्ट का कब्जा अपनी खातेदारी की आराजीयात पर है जिस पर सुचारू रूप से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए अपने निर्णय में यह अंकन नहीं किया है कि कब किस साल, सम्वतों में अपीलाण्ट ने क्या फसल काश्त की है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट की तामील हुई है। बावजूद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस फर्द नीलामी व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि **अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ना ही अपीलान्ट के परिवार का कोई कब्जा काश्त है।** अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा/कब्जा–काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:06 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर